कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(धारा-59 अनुभाग)
लखनऊ::दिनांक::जुलाई 19 , 2013

## उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत निर्णय

. सर्वश्री पवन कुमार मित्तल पुत्र श्री अमर नाथ मित्तल, 1209, छपरौला, जी0 टी0 रोड, तहसील दादरी, बिसरख मोड़, पुलिस चौकी के पास, गौतम बुद्ध नगर द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11, दिनांक 27.09.2011, प्रस्तुत करते हुए 02 प्रश्न पूछे गये थे (1) धार्मिक तस्वीर की टाईल्स, जो कैलेंडर के रूप में प्रयोग नहीं होती है, वाणिज्य कर (यू0पी0 वैट) से करमुक्त हैं या नहीं, यदि नहीं तो वाणिज्य कर (यू0पी0 वैट) की दर कितनी है (2) धार्मिक तस्वीर की टाईल्स, जो कैलेंडर के रूप में प्रयोग नहीं होती है, वाणिज्य कर (यू0पी0 वैट) से करमुक्त है, तो प्रान्त बाहर से आयात करने पर फार्म-38 की आवश्यकता / अनिवार्यता है या नहीं।

2. व्यापारी के उक्त प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11 पर कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 09.12.2011 पारित करते हुए, यह निर्णीत किया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-44 के अन्तर्गत धार्मिक तस्वीरयुक्त टाईल्स नहीं आते हैं ऐसे धार्मिक तस्वीरयुक्त टाईल्स पर, टाईल्स की भाँति करदेयता बनती है।

3. कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 दिनांक 01.01.2008 से प्रभावी होने के फलस्वरूप व्यापार कर विभाग का नाम परिवर्तित करते हुए वाणिज्य कर विभाग किया गया। व्यापार कर में पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सभी निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत, सभी अधिकारियों / न्यायिक अधिकारियों पर बाधित होने के कारण वैट अधिनियम पर भी बाधित है। धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11 की सुनवाई के समय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में न आने वाली धार्मिक तस्वीरों पर, करमुक्ति के सम्बन्ध में माननीय वाणिज्य कर अधिकरण की फुल बैच लखनऊ का अपील संख्या-60 / 94 धारा-35 का निर्णय दिनांक 23.02.95 M / s. Print Craft, 40, Pcckot B, Sukhdov Vihar, New Delhi vs. The Commissioner of Trade Tax U. P. का हवाला दिया गया था। इस निर्णय में यह विनिश्चय किया गया कि-'' Religious Pictures produced on tiles are predominantly religious pictures and the basic character of tiles is distinctly different from religious pictures produced at the tiles. The appellant has filed the copy of Religious Pictures which he intends to produce on tiles, these pictures have a divinity attach to them and there are therefore, religious pictures I feel that the learned Additional Commissioner, Trade Tax committed error in holding these religious pictures though produced on tiles taxable as tiles. It may be mentioned that the appellant is not manufacturing the tiles generally but proposes to purchase these tiles and then produce religious pictures upon them. The impugned opinion, therefore can not be sustained and must be set aside. ORDER-It is held that the religious pictures produced on ceramic tiles and sold by the appellant are

.....2

not liable to trade tax. '' माननीय अधिकरण के इस निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (बैच लखनऊ) के समक्ष रिवीजन नम्बर-29 सन् 95 दाखिल किया गया था, जिस पर निर्णय दिनांक 12.08.99 को पारित किया गया जिसमें विभाग के रिवीजन को '' Dismiss '' किया गया है। इन निर्णयों की प्रतियॉ धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11 की सुनवाई के समय प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु उक्त निर्णयों पर विचार किये बिना धारा-59 का निर्णय दिनांक 09.12.2011 पारित किया गया है। इस प्रकार से धारा-59 का निर्णय दिनांक 09.12.2011 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रभावहीन है, जिसका संशोधन आवश्यक है। अन्त में धारा-31 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए, निर्णय धारा-59 दिनांक 09.12.2011 को संशोधित करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के प्राविधान के अनुसार '' कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल (mistake apparent on the face of record ) को सुधार सकता है ''। व्यापारी के प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11 के लिए पारित धारा-59 के निर्णय दिनांक 09.12.2011 में प्रत्यक्ष कोई त्रुटि (mistake apparent on the face of record ) स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में व्यापारी का धारा-31 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-31 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

'' (1) कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल को स्वप्रस्ताव से या व्यवहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष क भीतर सुधार सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसी तीन वर्ष की अवधि के भीतर दे दिया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के पश्चात् भी किया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार जिसके प्रभाव से निर्धारित कर, शास्ति, शुल्क या अन्य देयों में वृद्धि हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यवहारी या अन्य व्यक्ति को, जिसके ऐसी वृद्धि से प्रभावित होने की सम्भावना हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो।

(2) उस दशा में जब ऐसी भूल सुधार का प्रभाव लगाए हुए कर के बढ़ने का हो, सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मॉग की फिर से सूचना व्यवहारी को देगा और उसके बाद इस अधिनियम के सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह सूचना पहली बार दी गयी हो ''।

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि कोई अधिकारी या प्राधिकारी या अधिकरण या उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश में अभिलेख देखने मात्र से प्रत्यक्ष किसी भूल को स्वप्रस्ताव से या

.....3

व्यवहारी या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर उस आदेश के दिनांक से जिसमें सुधार किया जाना हो, तीन वर्ष के भीतर सुधार सकता है । व्यापारी के प्रार्थना-पत्र संख्या-89 / 11 के लिए पारित धारा-59 के निर्णय दिनांक 09.12.2011 में प्रत्यक्ष कोई त्रुटि (mistake apparent on the face of record ) स्पष्ट नहीं होती है। अत: ऐसी स्थिति में व्यापारी का धारा-31 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 19 जुलाई, 2013

ह0 / 19.07.2013

**(सेल्वा कुमारी जे0)**

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।